19

संख्या– ९० /XLI-1/13–7(प्रशि0)/2012

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक
प्रशिक्षण विभाग उत्तराखण्ड
हल्द्वानी–नैनीताल।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग **देहरादूनः दिनांक २९ मार्च, 2013**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2012–13 में प्रशिक्षण विभाग हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2347/डीटीईयू/ 0202/पु0वि0/ 116/2012–13, दिनांक 08.03.2013 एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– 321/ XXVII(1)/2012 दिनांक 19 जून, 2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिये प्रशिक्षण विभाग की अतिरिक्त आवश्यकताओं के दृष्टिगत निम्न तालिकानुसार आयोजनेत्तर पक्षान्तर्गत **रू0. 36.00लाख (रूपये छत्तीस लाख मात्र)** की धनराशि अधोउल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुये **संलग्न बी0एम0–9 प्रपत्र के अनुसार पुर्नविनियोजन** करते हुये व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि हजार रूपये में)

लेखाशीर्षक/मानक मद		स्वीकृत धनराशि
2230–	श्रम तथा रोजगार	
003–	दस्तकार एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण	
03–	दस्तकार प्रशिक्षण योजना एवं अधिष्ठान	3000
	01–वेतन	600
	27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	3600
	योगः–	

(रूपये छत्तीस लाख मात्र)

2– स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय मासिक व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर नियमानुसार किया जाय। व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3– किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारी प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– यह उल्लेखनीय है कि शासन के व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5– अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

6– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–16 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2230–श्रम तथा रोजगार के अधीन उपरोक्त उल्लिखित तालिका में इंगित सम्बन्धित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0–9 के अनुसार व्यय किया जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–243(NP)/XXVII(5)/2012–13, दिनांक 28 मार्च, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
अपर सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ऑबेरॉय बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. निदेशक कोषागार एंव वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हल्द्वानी–नैनीताल।
4. वित्त(व्यय नियंत्रक) अनुभाग–5 उत्तराखण्ड शासन।
5. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर देहरादून।
6. बजट राजकोषीय प्रकोष्ठ सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0टोलिया)
अनु सचिव।

प्रपत्र बी.एम–9 (भाग–एक)

अनुदान संख्या:–16 प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
लेखाशीर्षक–2230–श्रम तथा रोजगार–03–प्रशिक्षण–003–दस्तकार एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण–
–03–दस्तकार प्रशिक्षण योजना एवं अधिष्ठान–
मुख्य लेखाशीर्षक–2230
उप मुख्य शीर्षक–03
लघु शीर्षक–003
उप शीर्षक–03–प्रशिक्षण
विस्तृत शीर्षक–00

वित्तीय वर्ष **2012–13** (धनराशि हजार में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित अंतरण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा		निम्नलिखित निधियों को प्रस्तावित अंतरण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखे का शीर्षक	आवेदन की तिथि पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन की तिथि पर उपलब्ध बचते	अंतरित की जाने वाली राशि	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत अंतरण हेतु राशि	अंतरण के पश्चात अवशेष अनुदान/ विनियोग (2–5)	लेखे का शीर्षक	वित्तीय वर्ष हेतु उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वर्ष के दौरान प्रत्याशित कुल व्यय	अंतरण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत अंतरण हेतु धनराशि	अंतरण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2230030030300 आयोजनेत्तर	03–महoभत्ता– 139102 17–भवन किराया– 3500	3129 632	3000 600	3000 600	136102 2900	2230030030300 आयोजनेत्तर	01–वेतन 215000 27–चिकित्सा प्रतिपर्ति 700	218000 1300	3000 600	3000 600	218000 1300
योग	142602	3761	3600	3600	139002		215700	219300	3600	3600	219300

प्रमाणित किया जाता हैं कि उपरोक्त पुनर्विनियोग से बजट मैनुवल के परिच्छेद 150, 151, 155, 156 में उल्लेखित प्रतिबन्धों एवं सीमाओं का उल्लंघन नही होता है।

(शैलेश बगौली)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड सचिवालय
वित्त(व्यय नियंत्रक) अनुभाग–5
संख्याः /XXVII(5)/2012–13
देहरादून दिनांक मार्च, 2013

सेवा में,

महालेखाकार, उत्तराखण्ड(लेखा एवं हकदारी),
ओबेराय विल्डिंग, माजरा देहरादून।

(डा0 एम.सी.जोशी)
अपर सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक प्रशिक्षण विभाग उत्तराखण्ड हल्द्वानी–नैनीताल
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हल्द्वानी।
4. वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग–5
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शैलेश बगौली)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
(वित्तीय वर्ष 2012-2013)
बी .एम. - 09

अनुदान संख्या - 016
पुनर्विनियोग स्वीकृति आदेश संख्या - 90/XLI-1/13-7(Trg)/2012

अलोटमेंट आईडी - R1303160395
दिनांक - 29-Mar-2013

(in Rupees)

क्रम संख्या	बजट प्राविधान तथा लेखाशिर्षक (1)	मानक मदवार अध्यधिक व्यय (2)	वित्तीय वर्ष के अवधि में अनुमानित व्यय (3)	अवशेष सरप्लस समायोजित धनराशी (4)	लेखाशीर्षक जिसमे धनराशी स्थानान्तरित की जानी है (5)	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ -5 की कुल धनराशी (6)	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ -1 में कुल धनराशी (7)	अभियुक्ति
	2230 श्रम तथा रोजगार 03 प्रशिक्षण 003 दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण 03 दस्तकार प्रशिक्षण योजना एवं अधिष्ठान 00 दस्तकार प्रशिक्षण योजना एवं अधिष्ठान (Non Plan Voted)				2230 श्रम तथा रोजगार 03 प्रशिक्षण 003 दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशि 03 दस्तकार प्रशिक्षण योजना एवं अधि 00 दस्तकार प्रशिक्षण योजना एवं अधि (Non Plan Voted)			
1	03 - महंगाई भत्ता 139102000	120406977	15695023	3000000	01 - वेतन 3000000	218000000	136102000	
2	17 - किराया, उपलुल्क और कर- 3500000	1912698	987102	600000	27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति 600000	1300000	2900000	
	योग			3600000	योग 3600000			

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150,151,155,156 में उल्लिखित प्राविधानो एवं सीमाओ का उल्लंघन नही होता है।

पुनर्विनियोग किये जाने हेतु प्रपत्र 15 की मूल प्रति वित्तीय डाटा सेण्टर 23- लक्ष्मी रोड डालनवाला ,देहरादून को उपलब्ध करायी जाय